



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032023-244202  
CG-DL-E-09032023-244202

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]  
No. 134]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2023/फाल्गुन 18, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2023/PHALGUNA 18, 1944

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2023

सा. का. नि. 173(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में, यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त मसौदा नियमों के संदर्भ में, आपत्तियाँ तथा सुझाव संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को अथवा jspp-dac@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाएँ।

**प्रारूप नियम**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों को कीटनाशी (पंचम संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा ।  
 (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. कीटनाशी नियम, 1971 नियम-10 के, उपनियम (1क) में, प्रथम परंतुक में अंक, अक्षर और शब्द “31 दिसंबर, 2022” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 दिसंबर, 2023” रखे जायेंगे।

[फा. सं. 13035/28/2014-पीपी-I (खंड-8)]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

**नोट:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित किए गए हैं और सा.का.नि. संख्यांक 140 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2023 द्वारा संशोधित किए गए ।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2023

**G.S.R.173(E).**—The following draft rule further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days shall be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110001 or through email at jspp-dac@gov.in.

**Draft Rules**

1. **Short title and Commencement:** (1) These Rules may be called the Insecticides (Fifth Amendment) Rules, 2023.  
 (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 10, in sub-rule (1A), in the first proviso, for the figures, letters and word “31<sup>st</sup> December, 2022” the figures, letters and word “31<sup>st</sup> December, 2023” shall be substituted.

[F. No. 13035/28/2014-PP-I (vol. viii)]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19<sup>th</sup> October, 1971 and was amended *vide* G.S.R 140 (E) dated 28<sup>th</sup> February, 2023.